स्थायी प्रचालन प्रक्रिया

मुख्यालय सीमा सड़क महानिदेशालय और इसकी अधीनस्थ यूनिटों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए राजभाषा चल शील्ड योजना लागू करना

1. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 12 जून 1979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/12013/2/76-रा. भा. (क-2) में जारी अनुदेशों के अनुपालन में अपर महानिदेशक सीमा सड़क की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई सीमा सड़क महानिदेशालय की 37वीं राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सीमा सड़क महानिदेशालय और इसकी अधीनस्थ यूनिटों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए राजभाषा चल शील्ड योजना लागू की जानी चाहिए।

2. तद्नुसार मुख्यालय सीमा सड़क महानिदेशालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिंदी की प्रगति के प्रति उत्साहबर्धक माहौल कायम करने के उद्देश्य से राजभाषा शील्ड प्रदान करने की योजना लागू की गई है जिसके तहत प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित शील्ड विजेताओं को प्रदान की जाएगी। यह योजना 01 अप्रैल 1995 से प्रभावी होगी :-

(क) प्रथम शील्ड - मुख्यालय सीमा सड़क महानिदेशालय के सभी निदेशालयों के लिए।

(ख) द्वितीय शील्ड - परियोजना मुख्यालयों और स्वतंत्र इकाइयों जैसे कि ग्रेफ केन्द्र, अभिलेख कार्यालय, पूर्वी बेस कार्यशाला, पूर्वी भंडार प्रभाग, पश्चिमी बेस कार्यशाला और पश्चिमी भंडार प्रभाग के लिए।

(ग) तृतीय शील्ड - हर एक परियोजना की अधीनस्थ यूनिटों के लिए जिन्हे शील्ड संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा प्रदान की जाएगी।

3. मुख्यालय सीमा सड़क महानिदेशालय के निदेशालयों और परियोजना मुख्यालयों को शील्ड प्रदान करने के लिए मुख्यालय सीमा सड़क महानिदेशालय में एक मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा। जो मुख्यालय सीमा सड़क महानिदेशालय के विभिन्न निदेशालयों और परियोजना मुख्यालयों/स्वतंत्र इकाइयों द्वारा किए गए हिंदी के कार्यों का मूल्यांकन करेगी और महानिदेशक, सीमा सड़क को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगी। मूल्यांकन के लिए कुल 100 प्राप्तांक निर्धारित किए गए हैं जिसमें से 70 प्राप्तांक हिंदी में किए गए कार्य के लिए और 30 प्राप्तांक भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में हुई विशेष उपलब्धियों के लिए निर्धारित हैं। मुख्यालय सीमा सड़क महानिदेशालय का प्रत्येक निदेशालय और परियोजना मुख्यालय/स्वतंत्र इकाइयाँ जैसाकि उपर्युक्त पैरा 2 (ख) में, उल्लेख किया गया है, वर्ष के दौरान किए गए कार्य का विवरण संलग्नक प्रपत्र में दिए गए प्रारूप के अनुसार मूल्यांकन

समिति के विचार के लिए भेजेगी जो मुख्यालय सीमा सड़क महानिदेशालय/हिंदी अनुभाग में प्रति वर्ष 1 अप्रैल तक निश्चित रूप से पहुँच जाना चाहिए। संलग्नक प्रपत्र में दिए गए प्रारूप के अनुसार 01 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 1996 तक किए गए कार्य का विवरण दर्शाते हुए सभी फार्मेशन द्वारा जैसा कि उपर्युक्त पैरा 2 (क) और (ख) में उल्लिखित है, अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जो मुख्यालय सीमा सड़क महानिदेशालय में 10 अप्रैल 1996 तक पहुँच जानी चाहिए।

4. परियोजनाओं की अधीनस्थ यूनिटों को शील्ड प्रदान करने के लिए परियोजना मुख्यालयों में एक समिति गठित की जाएगी जो उनके अधीन कार्यरत यूनिटों द्वारा वर्ष के दौरान किए गए कार्यों का मूल्यांकन करेगी और अपनी रिपोर्ट/सिफारिश मुख्य अभियंता को प्रस्तुत करेगी। राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के लिए सबसे अच्छा कार्य करने वाली यूनिट को परियोजना स्थापना दिवस या अन्य किसी समारोह के दौरान राजभाषा शील्ड मुख्य अभियंता द्वारा प्रदान की जाएगी।

5. परियोजनाओं की अधीनस्थ यूनिटों को राजभाषा शील्ड प्रदान करने के लिए बजट की व्यवस्था संबंधित परियोजना मुख्यालय के बजट से की जाएगी। मुख्यालय सीमा सड़क महानिदेशालय के निदेशालयों और परियोजना मुख्यालयों को राजभाषा शील्ड प्रदान करने के लिए बजट की व्यवस्था मुख्यालय सीमा सड़क महानिदेशालय के बजट आबंटन से की जाएगी।

6. कृपया इस स्थायी प्रचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) के सार को सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी में लाए और अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करें।